## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 393—दो / 2001 विरुद्ध आदेश दिनांक 05—02—2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 388 / 88—89 / अपील.

1— चूड़ामणि पुत्र रामप्रपन्न ब्राहमण
2— राजाराम पुत्र श्यामसुदर ब्राहमण
निवासीगण ग्राम हरिहरपुत्र
तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामशिरोमणि
2— रामनरेश
3— अशोक कुमार
तीनों पुत्रगण नर्बदा प्रसाद ब्रा0
4— रामबहोरी पुत्र रामनिरंजन
5— मुस. रामकली विधवा रामनिरंजन
6— जगदीश प्रसाद
7— अवधेश प्रसाद
8— रामस्वयंबर
तीनों पुत्रगण बैजनाथ
सभी निवासीगण ग्राम हरिहरपुर
तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---- अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बंसलपुरकर
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] जादरशी

आदेश
(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 388 / 88—89 / अपील में पारित आदेश दिनांक 09-0[illegible] के विरूद्ध म. प्र. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा [illegible] के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मामलात न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 28–5–87 को आदेश पारित करते हुए विवादित भूमि के संबंध में प्रविष्ठि संशोधन के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील प्रस्तुत की । एस.डी.ओ. ने उक्त अपील में दिनांक 31–1–89 को आदेश पारित करते हुए वर्ष 83–84 में कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया साथ ही वर्ष 88–89 में भी आदेश में की गई विवेचना अनुसार कब्जा दर्ज किए जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायलय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त ने स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त किया । अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त ने बिना अभिलेख देखे तथा साक्ष्य की विवेचना किए आदेश पारित किया है । अनावेदकों ने आवेदक के विरुद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था जिसमें आवेदकों को विवादित भूमि का आधिपत्यधारी माना गया है । व्यवहार न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर राजस्व अधिकारी को राजस्व अभिलेख में वास्तविक आधिपत्यधारी की प्रविष्टि करना आवश्यक है । संहिता की धारा ... के तहत निर्मित नियमों के ... अनुसार कब्जे की प्रविष्टि की जा सकती है ।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि पर आधिपत्य अंकित किए जाने के संबंध में है । प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि तहसीलदार को ... वर्ष से अधिक का कब्जा दर्ज करने का अधिकार नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी का तो ... उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक पक्ष द्वारा विवादित आराजियात पर कब्जा संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है । इस आधार उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों

को अधिकारिता रहित मानते हुए अपील स्वीकार की गई ... प्रकरण ... को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत होकर ... योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन ... अपर आयुक्त का आदेश ... जाती है एवं यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

( एम. के. सिंह )

सदस्य

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर